दिनांक 06 अप्रैल 2021

प्रेस विज्ञप्ति

उप कारागृह, फलौदी से बंदी की फरारी की घटना पर जेल विभाग सख्त

जयपुर। दिनांक 05.04.2021 को सायंकाल उप कारागृह, फलौदी से 16 बंदियों की फरारी की घटना को जेल मुख्यालय द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिक जाँच श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर को सौपी गई है जिन्होंने सोमवार देर रात्रि फलौदी पहुँच कर जाँच प्रारम्भ कर दी है।

जाँच के दौरान प्रथमदृष्ट्या दोषी पाये जाने पर श्री नवीबक्स, मुख्य प्रहरी, श्री सुनील कुमार, प्रहरी, श्री मदनपाल सिंह,प्रहरी तथा श्रीमती मधु देवी, महिला प्रहरी की लापरवाही पाये जाने पर इन चारों जेलकर्मियों को तुरन्त प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उप कारागृह, फलौदी में जोधपुर से भेजी गई विशेष टीम द्वारा दिनांक 02/04/2021 को मोबाईल फोन एवं अन्य निषिद्ध वस्तुएं बरामदगी प्रकरण में श्री सत्येन्द्र, उप कारापाल को दिनांक 03/04/2021 को निलंबित कर दिया गया था। नव नियुक्त उप कारापाल श्री हड़वन्त सिंह ने सोमवार देर रात्रि को कार्यभार संभाल लिया है।

जेल मुख्यालय पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण श्री अनिल कयाल से निरंतर संपर्क में है। उक्त फरार बंदियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट फलौदी थाना में दर्ज करा दी गई है।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

<u>कोरोना संक्रमण के चलते दिनांक 19/04/2021 तक बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर रोक</u>

राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकरणों को देखते हुए सावधानी बरतते हुए बंदियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जेल मुख्यालय द्वारा दिनांक 19/04/2021 तक बंदियों की उनके परिजनों से व्यक्तिगत मुलाकात पर रोक लगा दी गई है।

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात एवं एस.टी.डी. पीसीओ पर बंदियों की उनके परिजनों के रजिस्टर्ड नम्बरों पर वार्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती रहेगी।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

=====*****====